ईसी सं. 40/ आईडीडी -01/ 2023-2024 15 मार्च 2024
संदर्भ सं. राबैं. प्रका. आईडीडी. नीति./ 1375/ नीति 5/ 2023-2024

अध्यक्ष
सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु कोऑपरेटिव इंटर्न की नियुक्ति

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के लाभ बुनियादी स्तर तक पहुँचें यह सुनिश्चित करने, सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को मजबूत करने, तथा सहकारिताओं के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य सहकारी (रास) बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंक "कोऑपरेटिव इंटर्न" के नाम से युवा प्रोफेशनल व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं जो प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगी, जिसमें प्रत्येक इंटर्न केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा.

2. योजना के उद्देश्य

i. सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना.

ii. प्रोफेशनल स्नातकों का क्षमता निर्माण करना ताकि वे सहकारी संस्थाओं का संदर्भ तथा व्यावहारिक कार्यप्रणाली सीख सकें.

iii. सहकारिता के क्षेत्र में अनुभवी प्रोफेशनल व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना. इस प्रकार नियुक्त इंटर्न पर कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में पैक्स को आने वाली दैनिक समस्याओं को हल करने के साथ-साथ व्यावसायिक योजनाओं, परियोजनाओं की तैयारी करने, वित्तीय मुद्दों को हल करने, विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने आदि की जिम्मेदारी होगी.

3. पात्रता:

विपणन प्रबंधन/ सहकारी प्रबंधन/ कृषि व्यवसाय प्रबंधन/ ग्रामीण विकास प्रबंधन में एमबीए या समकक्ष.

4. अनिवार्य अर्हता:

कंप्यूटर में प्रवीणता अनिवार्य है.

5. आयु सीमा:

अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
संस्थागत विकास विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524843 • फ़ैक्स: +91 22 26530089• ई मेल: idd@nabard.org
Institutional Develpoment Department
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524843 • Fax: +91 22 26530089 • E-mail:idd@nabard.org

6. इंटर्न की संख्या तथा लोकेशन:

सभी राज्य सहकारी (रास) बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों में से प्रत्येक को एक इंटर्न नियुक्त करने की अनुमति होगी. वर्तमान में भारत में 34 रास बैंक तथा 351 जिमस बैंक परिचालनरत हैं (इंटर्न की संख्या - 385). एक इंटर्न की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी. यह योजना 3 वर्ष तक वैध रहेगी.

7. चयन प्रक्रिया:

राज्य सहकारी बैंक जिमस बैंकों तथा स्वयं के लिए कोऑपरेटिव इंटर्न की नियुक्ति करेंगे, जिसके लिए वार्षिक आधार पर रिक्तियों का विज्ञापन किया जाएगा, जिसमें इस परिपत्र में यथानिर्दिष्ट रूप से पात्रता मानदंड और अनिवार्य आवश्यकता, वेतन, आयु सीमा, इंटर्नशिप की अवधि तथा अन्य नियम और शर्तें नियत की जाएंगी. राज्य सहकारी बैंक नियुक्ति/ चयन की प्रक्रिया इस परिपत्र की पावती मिलने पर तत्काल प्रारंभ करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परिपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर इंटर्न की नियुक्ति हो जाए.

8. इंटर्न की तैनाती:

चयनित इंटर्न को उनके द्वारा चुने गए जिले/ जिलों के आधार पर सभी जिमस बैंकों में, तथा एक इंटर्न को रास बैंक में तैनात किया जाना होगा, जिससे स्थानीय क्षेत्र के बारे में उनकी समझ का लाभ उठाया जा सके. रास बैंक कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर इंटर्न की तैनाती/ स्थानांतरण कर सकता है.

9. वेतन:

चयनित इंटर्न को रु.25,000/- के समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति सहकारी शिक्षा निधि, सहकारिता मंत्रालय से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से की जाएगी. यात्रा भत्ता (टीए)/ महंगाई भत्ता (डीए) रास बैंकों तथा जिमस बैंकों द्वारा स्वयं उनकी निधियों से प्रदान किया जाएगा. इंटर्न वर्ष में 10 दिन आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई अन्य अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा. आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश “अवैतनिक अवकाश” के रूप में प्रदान किया जाएगा. इंटर्न को संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंकों में लागू छुट्टियों के अनुसार छुट्टियाँ दी जा सकती हैं.

10. इंटर्न की भूमिकाएँ तथा कार्य:

इंटर्न निम्नलिखित भूमिकाओं तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे:

i. इंटर्न पैक्स तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ समन्वय करेगा तथा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.

ii. ऐसे इंटर्न पर कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में पैक्स को आने वाली दैनिक समस्याओं को हल करने के साथ-साथ व्यावसायिक योजनाओं, परियोजनाओं की तैयारी करने, वित्तीय मुद्दों को हल करने, विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने आदि की जिम्मेदारी होगी.

iii. वह जिमस बैंक/ रास बैंक के साथ समन्वय करके सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति पर साप्ताहिक (स्टेटस) रिपोर्ट तैयार करेगा/ करेगी तथा उसे शेयर करेगा/ करेगी.

11. नोडल एजेंसी:

एनसीडीसी राज्य सरकारों की सहायता तथा समन्वय के साथ इस योजना का अभिशासन करेगा. रास बैंकों द्वारा इस योजना का निष्पादन किया जाएगा और नाबार्ड इसके कार्यान्वयन का अनुप्रवर्तन करेगा.

12. अन्य नियम एवं शर्तें:-

i. यह इंटर्नशिप कार्यक्रम बैंक या बैंक से संबंधित संस्थाओं के साथ रोज़गार या रोज़गार का आश्वासन नहीं है, तथा इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के आधार पर कोई इंटर्न बैंकों में नियुक्ति का अधिकार या दावा नहीं कर सकेगा.

ii. यह इंटर्नशिप एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है; अतः इंटर्न को बैंकों के कार्यालय समय का ध्यान रखना होगा. यदि इंटर्न का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, या इंटर्न बैंक की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो इंटर्नशिप किसी भी समय खत्म की जा सकती है और इंटर्न को कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा. उपर्युक्त मदों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इंटर्न की सेवाएँ निरस्त कर सकता है.

iii. इंटर्न को इंटर्नशिप की अवधि के दौरान उसे प्राप्त सभी आलेखों/ रिपोर्टों और/ या किसी भी सूचना की गोपनीयता बनाए रखनी होगी, जिसका उल्लंघन की जाने पर उसके क़ानूनी परिणाम होंगे. इंटर्न किसी व्यक्ति या संगठन के समक्ष बैंक से संबंधित ऐसी कोई जानकारी, उसकी व्यावसायिक योजना तथा नीतियाँ प्रकट नहीं करेगा, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.

iv. इंटर्न को संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा.

v. इंटर्न किसी अन्य व्यक्ति/ संगठन के समक्ष बैंक, उसके कार्य तथा उसकी नीतियों से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा.

vi. कोई इंटर्न फेसबुक/ ट्विटर हैंडल जैसे सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया (प्रिंट और/ या इलेक्ट्रॉनिक) के साथ न तो बातचीत करेगा और न ही उनके समक्ष बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा. इंटर्न सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपना कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे.

vii. इंटर्न बैंक के साथ तथा सामान्य जनता के साथ प्रोफेशनल रूप से व्यवहार करेंगे.

viii. इस बात का सख़्ती से ध्यान रखा जाए कि इंटर्न का आचरण तथा डेटा तक उनकी पहुँच केवल संबंधित बैंक की जिम्मेदारी होगी.

भवदीय

सुब्रतकुमारनंदा

सुब्रत कुमार नंदा
मुख्य महाप्रबंधक